न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वादपत्र संख्या : 120/2013

वादीः–

1. कमलजीतसिंह पुत्र हिंगलाजदान जाति–चारण निवासी–कावलियां खुर्द तहसील–जैतारण जिला–पाली राज.।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. किशनसिंह पुत्र हिंगलाजदान जाति–चारण, निवासी–कावलियाखुर्द तहसील–जैतारण, जिला–पाली।
2. तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजू 25/04/2013

उपस्थितः– 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री चुतरा राम भाटी एवं जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 05/02/2020**

वकील प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. विरूद्ध वादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी ने उपरोक्त वाद माननीय न्यायालय में वास्ते घोषणा खातेदारी, निषेधाज्ञा जारी करने हेतु पेश किया है जो विचाराधीन है। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के पद संख्या 03 में जो कथन किये गये है उन सभी वाद कथनों के संदर्भ में निस्तारण एवं निर्णय केवल व्यवहार न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। इस कारण वर्तमान वाद माननीय न्यायालय में पोषणीय नहीं है। वादी ने वादपत्र में बेचाननामा दिनांक 17.01.1981 प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने पिता के साथ विश्वासघात करते हुए कपटपूर्ण तरीके से निष्पादित करवा लिये जाने के वाद कथन किये है एवं इन वाद कथनों के संदर्भ में निर्णय केवल व्यवहार न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। जहां कोई कार्यवाही कपटपूर्ण तरीके से करवा लिये जाने का आक्षेप हो तो उसे मामले में व्यवहार न्यायालय द्वारा ही निर्णय दिया जा सकता है। वर्तमान मामलें में दिनांक 17.01.1981 का बेचाननामा प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित किया हुआ है एवं उसी के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। उक्त बेचाननामा जब कि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता एवं यह घोषणा न्यायालय द्वारा नहीं कर दी जाती कि बेचान दस्तावेज दिनांक 17.01.1981 कपटपूर्ण तरीके से करवाया गया है वादी को कोई खातेदारी अधिकारों का अर्जन होना नहीं माना जा सकता है। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के वाद कथनों को उसी रूप में पढने पर भी वादी का वर्तमान वाद राजस्व न्यायालय में पोषणीय नहीं रहता है। वादपत्र के पद संख्या 03 में लगाये गये आक्षेपों पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में निर्णय किये जाने से पूर्व वादी को घोषणात्मक वाद पेश करने हेतु कोई वादकरण पैदा होना नहीं माना जा सकता एवं वादकरण के अभाव में वादी का

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

वाद चलने योग्य नहीं है। धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार राजस्व न्यायालय केवल उन्हीं वादों की सुनवाई करने हेतु समक्ष है जिनका वर्णन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूचि में किया गया हो। उक्त अनुसूची में इस तरह के वाद की सुनवाई बाबत कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। जब तक दिनांक 17.01.1981 का पंजीकृत विक्रय विलेख किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कपटपूर्ण तरीके से निष्पादित किया हुआ घोषित कर उसे निरस्त नहीं कर दिया जाता तब तक वादी को घोषणात्मक वाद हेतु कोई वादकरण पैदा नहीं होता है बिना खातेदारी अधिकारों के अर्जन के घोषणात्मक वाद नहीं लाया जा सकता है। वर्तमान मामले में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को अनावश्यक रूप से माननीय न्यायालय में लम्बित रखना माननीय न्यायालय का बहुमूल्य समय खराब करने के समान है। जब प्रथमदृष्टतया वाद विधिवर्जित है एवं वादकरण भी पैदा नहीं हुआ है तो उक्त वाद को अनावश्यक रूप से लम्बित रखने का भी कोई औचित्य नहीं है वर्तमान स्वरूप में वादी का वाद किसी भी रूप में पोषणीय नहीं रहता है बल्कि वाद पत्र रिजेक्ट किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 01 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बिनाय दावे के अभाव में तथा विधिवर्जित होने से वादपत्र को रिजेक्ट किया जावें।

जवाब अप्रार्थी/वादी ने जवाब प्रार्थना पेश किया है कि वाद में वर्णित कृषि भूमि खसरा नंबर 17, 18, 19 कुल रकबा 63 रकबा 08 बीघा भूमि वादी व प्रतिवादी के पिता हिंगलाजदान ने दिनांक 01.06.1980 को जरिये लिखित इकरार बेचान के विकेता किस्तुरचन्द्र व तख्तसिंह से क्रय की व प्रतिफल कि राशि देकर हिंगलाजदानजी को मौके पर भौतिक रूप से कब्जा दिया व उक्त भूमि पैतृक तथा वक्त बेचान वादी नाबालिग उम्र 07 वर्ष व प्रतिवादी अध्ययनरत था व आय का कोई जरिया नहीं था। प्रतिवादी पढालिखा होने से अपने पिता को सीलिंग का डर बताकर अपने नाम जरिये बेचान रजिस्ट्री दिनांक 17.01.1981 को करवाई जो गलत व गैरकानूनी है तथा प्रतिवादी ने यह कहा कि वादी बालिग होते ही 1/2 हिस्से में नाम दर्ज करवा दूंगा। परन्तु दिनांक 20.03.2013 को वादी ने उक्त कृषि भूमि में नाम इन्द्राज करवाने का कहने पर भी प्रतिवादी ने मना कर दिया। तब वादी ने उक्त वाद विरूद्ध प्रतिवादी के पेश किया। वादी ने अपने वाद पत्र के पद संख्या 03 में जो किये, जो सही है। उसका निस्तारण व निर्णय दिवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है क्योंकि वादी अपने 1/2 हिस्से की भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के लिए मुख्य अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियमों के तहत राजस्व न्यायालय में वाद पेश कर ही अनुतोष प्राप्त कर सकता है जो वाद पेश किया जो कानूनन पोषणीय है। इसके लिए वादी को प्रतिवादी के पक्ष में जो विक्रय विलेख दिनांक 17.01.1981 को निष्पादित हुआ, उसे रद्द करवाने की आवश्यकता नहीं रहती है वह अनुतोष मात्र आनुषांगिक अनुतोष ही है तथा 1/2 हिस्से पर मौके पर वादी का कब्जा काश्त है वाद में वर्णित कृषि भूमि को वादी व प्रतिवादी के पिता हिंगलाजदान को समय समय पर दिये पत्रों में लिखी रकम से भी स्पष्ट है कि उक्त भूमि पैतृक है। जिसमें 1/2 हिस्से में वादी अपना दर्ज करवाने के लिए वादी को अपने वादपत्र में किये गये कथनों से स्पष्ट रूप से वादकरण दिनांक 20.03.2013 पैदा होता हे। तथा इसे बैचान इकरार पत्र भी के साक्ष्य में प्रदर्श होने से साक्ष्य में

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

ग्राह्य है। इसलिए दिनांक 17.01.1981 के पंजीकृत विक्रय विलेख को सिविल न्यायालय से रद्द करवाने की आवश्यकता नहीं है। अन्य कथन गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये कथनों के आधार पर न्यायालय द्वारा तनकी बनाई जाकर तथा उस पर साक्ष्य लेकर ही निर्णित की जा सकती है। प्रतिवादी ने बहुत ही देरीना मात्र प्रकरण को लम्बा करने की नियत से प्रार्थना पत्र जो पेश किया, जो पोषणीय नहीं है तथा भूमि पर जब तक हिंगलाजदानजी जीवित थे, तब तक उनका कब्जा था तथा मृत्युपरान्त 1/2 हिस्से पर वादी का शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी मात्र जमाबन्दी में नाम इन्द्राज होने के आधार पर वादी के 1/2 हिस्से की भूमि को हड़पना चाहता है। जबकि जमाबन्दी में नाम इन्द्राज होने के आधार पर स्वामित्व नहीं मिलते जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादीत सिद्धान्तों से स्पष्ट है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से मय खर्चा खारिज फरमावें।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक नज़ीरें पेश कीः-

1- RRT 2011 (SUPP.) PAGE- 667
2- RRT 2012 (1) PAGE- 558
3- CJ (CIV) RAJ. 2017 (2) PAGE- 1047
4- RRT 2010 (1) PAGE- 124

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक नज़ीरें पेश कीः-

1- DNJ 2019 (2) PAGE- 766-767
2- DNJ 2012 (2) PAGE- 573
3- AIR 1994 PAGE- 1653(S.C)

हमनें उपर्युक्त न्यायिक नज़ीरों का ससम्मान अध्ययन, अवलोकन एवं मनन करते हुए हस्तगत प्रकरण में अंतिम विनिश्चय करने में इनका मार्गदर्शी सिद्धान्त के रूप में यथोचित उपयोग किया। हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी और उसपर मनन किया।

हमने वाद-पत्र का अवलोकन किया, जिससे यह स्पष्ट है वादपत्र के पैरा संख्या 03 में वादी द्वारा कथन किया गया कि "हिंगलाजदान मात्र हस्ताक्षर करना जानते थे वह पढे लिखे नहीं होने के कारण उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 01 ने उन्हें सीलिंग का डर बताकर उक्त भूमि की रजिस्ट्री विकेता कस्तुरचन्द व तख्तसिंह द्वारा अपने नाम दिनांक 17.01.1981 को करवा ली तथा प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने पिता को यह भी विश्वास दिलाया कि मेरा छोटा भाई वादी कमलजीतसिंह बालिग होने पर उक्त भूमि में उसका नाम दर्ज करवा दूंगा" इस प्रकार वादपत्र में वादी द्वारा किये गये कथन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी दिनांक 17.01.1981 को निष्पादित पंजीकृत बैचान द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 को हस्तांरित हुई है अतः यदि उक्त पंजीकृत बैचान विधिविरुद्ध/शून्य है तो वाद/अप्रार्थी को सर्वप्रथम सम्बन्धित सक्षम

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

सिविल न्यायालय से ऐसे पंजीकृत बेचान को विधिविरुद्ध/शून्य घोषित करवाना होगा तथा ऐसी घोषणा करना या उस पर विचारण करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है, साथ ही यदि वादी/अप्रार्थी ऐसा मानता है कि वक्त कय प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा किये गये वादे से बाद में वह मुकर गया है तो भी ऐसे किसी वादे/विश्वास का कियान्वयन किये जाने की क्षेत्राधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं है। इस सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरें प्रार्थी के पक्ष में हुबहू चस्पा होती हैं, वहीं अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरें प्रकरण हाजा में अप्रार्थी/वादी के पक्ष में हुबहू चस्पा नहीं होती है। हस्तगत प्रकरण में यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पंजीकृत बैचान दिनांक 17.01.1981 द्वारा प्रतिवादी/प्रार्थी के पक्ष में हस्तांतरित होने के फलस्वरूप राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में अमल-दरामद हुई है वादी के वादपत्र के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में दर्ज प्रविष्टियां किसी अभिलेखिय त्रुटि के कारण नहीं होकर दिनांक 17.01.1981 के पंजीकृत बैचान के आधार पर हुई है तथा वादी का सम्पूर्ण वाद उक्त पंजीकृत बैचान पर ही आधारित है तथा जब तक सम्बन्धित सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा उक्त पंजीकृत बैचान दिनांक 17.01.1981 को शून्य घोषित नहीं कर दिया जाता है तब तक उस पर आधारित हस्तगत वाद पर न्यायालय हाजा द्वारा वाद का विचारण क्षेत्राधिकार से बाहर एवं विधि द्वारा वर्जित होने के साथ-साथ वादकारण भी उत्पन्न नहीं होता है, अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी स्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 अंतर्गत आदेश- 07, नियम- 11 सपठित धारा 151 सी. पी.सी. प्रार्थी/प्रतिवादी के पक्ष में एवं वादी/अप्रार्थी के विरुद्ध बखूबी साबित होने तथा सारवान होने से स्वीकार किया जाता है, वादी का वादपत्र न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार से परे होने, विधि द्वारा वर्जित होने तथा वादकारण उत्पन्न नहीं होने के कारण खारिज/नामंजूर किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 05/02/2020 को सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.03.03 11:28:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: